रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं. 192] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 1994/अग्रहायण 3, 1916

[No. 192] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 1994/AGRAHAYANA 3, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 258/(पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1994

फाइल सं. आई पी सी/4/5(365)/92-97:—यथासंशोधित निर्यात एवं आयात नीति, 1992-97 के पैरा 16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक, 1992—97 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

अध्याय-4 में

सार्वजनिक सूचना संख्या 228/(पी एन)/92–97 दिनांक 1–8–1994 द्वारा संशोधित पैराग्राफ 6क के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा :—

आयात/निर्यात फिजी, इराक, और यूगोस्लाविया (सर्बिया और मोन्टेनेग्रो) को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से/देश में वैध होगा बशर्ते कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लिखित हो।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डा. पी.एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक
विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 258|(PN)|92—97

New Delhi, the 24th November, 1994

File No. IPC|4|5(365)|92—97.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992—97, as amended, the D.G.F.T. hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures, 1992—97 :—

In Chapter IV

Paragraph 6A which was amended vide Public Notice No. 228|(PN)|92—97 dated 1-8-1994 shall be substituted by the following :—

"Unless otherwise specifically provided, import|export will be valid from|to any country in the world except Fiji, Iraq and Yugoslavia (Serbia and Montenegro)."

2. This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994